जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम

कार्यालयः बी–610, ए.डी.आर. सेन्टर, शिवमार्ग,बनीपार्क जयपुर–302016

क्रमांकः– 755 दिनांक :– 16-02-2026

विज्ञप्ति

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स योजना (संशोधित), **NALSA (legal services clinics in universities law colleges and other institutions) Scheme 2013**, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी **Directives for Efficient and Managed Utilization of Para Legal Volunteers for DLSAs and TLSCs in Rajasthan 2025** एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्रांक **RSLSA/ 2026/ 878-921 Date 16-01-2026** के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र एवं अधीनस्थ विधिक सेवा केन्द्रों पर सामुदायिक अधिकार मित्र (पैरालीगल वॉलियन्टर) के रूप में कार्य करने एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार 10 अधिकार मित्रों (पैरालीगल वॉलियन्टर) का चयन कर अधिकार मित्र के पैनल में सम्मिलित करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र सं	संबंधित प्राधिकरण/ न्यायक्षेत्र	क्षेत्राधिकार की पंचायत समिति का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जाना है	सामुदायिक अधिकार मित्र (पैरालीगल वॉलियन्टर) की संख्या
1–	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम मुख्यालय	जयपुर	06
2–	सांगानेर न्यायक्षेत्र हेतु	सांगानेर	03
3–	चाकसू न्यायक्षेत्र हेतु	कोटखावदा, चाकसू	01
	कुल पद		**10**

1. शैक्षणिक योग्यता : पैरालीगल वॉलियन्टर को साक्षर, आदर्श रूप से मैट्रिक, होना चाहिए तथा उसके पास लोगों की बात समझने की सूझ–बूझ होनी चाहिए । अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने की अच्छी एवं व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए । अभ्यर्थी को पत्र–व्यवहार का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए ।

2. आयु : आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।

3. आवेदन पत्र : इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये नियत प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा । ऑनलाईन अथवा ईमेल से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें । अन्य प्रारूप या अधूरे प्रारूप में प्रेषित आवेदन पत्र को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4. चयन की प्रक्रियाः प्राप्त आवेदन–पत्रों की जाँच कर सही आवेदन पत्रों को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किया जावेगा । साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किये गये आवेदनकर्ताओं की सूची कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी एवं जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आवेदनकर्ताओं को साक्षात्कार हेतु सूचित किया जावेगा । आवेदकर्ताओं को साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा । आवेदकों का

साक्षात्कार के माध्यम से अधिकार मित्र हेतु चयन किया जायेगा । साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को आमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा । साक्षात्कार में सफल सभी अभ्यर्थियों को सभी प्रशिक्षण दिवस पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा । सभी प्रशिक्षण दिवसों पर उपस्थित अभ्यर्थीगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम के पैनल में सम्मिलित किया जावेगा ।

5. चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्रः आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो । ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

6. शपथ पत्र : आवेदनकर्ता एक शपथ–पत्र निम्नाकिंत बिन्दुओं के आशय का आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा :–

- कि वह पैरा लीगल वॉलियन्टर योजना में रूचि रखते हुए कार्य करेगा ।
- कि उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ।
- कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है ।
- कि उसे किसी अपराध में अभियुक्त नहीं बनाया गया है ।
- कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है एवं अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का कार्य करने में सक्षम है ।
- कि वह किसी भी राजनैतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है ।
- कि वह अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) के रूप में अपने पद का दुरूपयोग नहीं करेगा ।

7. शारीरिक योग्यता : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का काम करने के योग्य होना चाहिए ।

8. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख/ दस्तावेजात प्रस्तुत किये जावें :–

- जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो।
- जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन में किया जा रहा है, तो उसे पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र ।

- यदि आवेदक सेवा निवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक/ एम. एस. डब्ल्यू छात्र/ छात्राएं व अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता/ डॉक्टर/ फिजिशियन/ छात्र/ छात्राएं व विधि छात्र/ छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हो)/ गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/ सेवाभावी एन.जी.ओं. क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

9. आवेदन की अंतिम तिथि :–

अधिकार मित्र (पैरालीगल वॉलियन्टर्स) के पद हेतु इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित योग्यता रखता हो, अपने कार्य क्षेत्र का चयन करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन **दिनांक 17.02.2026 से 26.02.2026 तक (कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)** कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम में प्रस्तुत कर सकता है । इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

10. पात्रताः–

पात्र व्यक्ति	अपात्र व्यक्ति
1. सेवारत एवं सेवानिवृत शिक्षक 2. सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक 3. एम.एस. डब्ल्यू, छात्र/छात्राऐं एवं शिक्षक 4. आंगन बाडी कार्यकर्ता 5. चिकित्सकगण 6. विधि छात्र/छात्राएं 7. गैर राजनीतिक स्वयं सेवा समूह (एन.जी.ओ.) के सदस्यगण 8. महिला संगठनों के कार्यकर्ता 9. पिछड़े तबको के लिये कार्य कर रहे स्वंय सेवी समूहों के सदस्यगण 10. समाज सेवी व सामाजिक कार्यकर्ता 11. ट्रांसजेंडर	1. अधिवक्तागण/ विधि व्यवसायी 2. राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुडे हुए व्यक्ति 3. राजनीतिक संगठनों से जुडे हुए एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता 4. किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त हो 5. ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप सें अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का कार्य करने में असक्षम हो 6. ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वोलेन्टीयर स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो

अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शार्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा । अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) चयन हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक आवेदकों के संबंध में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा व महिलाओं/ ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राथमिकता दिये जाने के साथ–साथ स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत अलग–अलग गॉव के निवासी होने की शर्त की पालना करने वाले आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा । निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अवलोकन पश्चात किया जायेगा ।

11. भुगतानः–

अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) के रूप में उनका चयन किया जावेगा जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहते । चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके लिए करूणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए । अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय (Honorarium) राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वेतन (salary), प्रोत्साहन राशि (remunarion) अथवा मजदूरी (wages) देय नहीं होगी।

12. **अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) के मुख्यतः निम्नाकिंत कार्य करेगें:–**

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ड्यूटी दिवस के दिन 06 घण्टे कार्य करना, जिसमें 5 घण्टे फील्ड कार्य तथा 01 घण्टा रिपोर्टिंग तैयार करना शामिल है।
2. दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर समाज के कमजोर और वंचित समुदायों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
3. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस और समय अवधि में उपस्थित रहना।
4. आम नागरिकों के विवादों को निपटाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों, लोक अदालत और मध्यस्थता/राजीनामा के माध्यम से समाधान की जानकारी देना।
5. आमजन को सरकारी योजनाओं जैसे श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा (RTE) आदि से जोड़ना।
6. विधिक सेवा केन्द्रों, पुलिस स्टेशन, जेल, विधिक सहायता क्लिनिक और लोक अदालतों में सहायता करना।
7. सम्पर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थानों की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देना ताकि सुयोग्य व्यक्ति मदद पा सकें।
8. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या धैर्यपूर्वक और संवेदनशीलता से सुनना और पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देना।
9. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना।
10. लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करना।
11. अपने क्षेत्र में होने वाले अन्याय, बाल विवाह, मृत्युभोज या अन्य अपराधों पर नजर रखना और इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित, मौखिक या फोन पर देना।
12. पीड़ित व्यक्ति को धारा 357–ए (CrPC) के तहत उचित मुआवजा मिलने के बारे में जानकारी देना।
13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जेल, लॉकअप, मानसिक अस्पताल, आश्रय गृहों आदि का विजिट करना और वहां रहने वालों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा वहां की साफ–सफाई व मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करना एवं रिपोर्ट कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना ।

14. बाल अधिकार, बाल श्रम, गुमशुदा बच्चों या अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों के उल्लंघन पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना।
15. विवादों के सैटलमेंट, प्री–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, कानूनी सहायता योजनाओं, महिला व बाल अधिकार, पोक्सो (POCSO) और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जानकारी प्रसारित करना।
16. अपने क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों और शिविरों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देना।
17. विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त या कम खर्चीले माध्यमों के प्रति जागरूकता पैदा करना और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं (डाक, बिजली, पानी, अस्पताल आदि) के विवादों का निपटारा करने के प्रति जागरूक करना।
18. क्षेत्र में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर पुलिस थाना जाकर गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता और सलाह सुनिश्चित करना।
19. कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कैनोपी लगाकर मोबाइल विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से प्रचार करना और विधिक सहायता आवेदन प्राप्त करना।
20. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराए गए मटेरियल (प्रचार सामग्री) का प्रचार–प्रसार करना।

(किशोर कुमार तालेपा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर–प्रथम।

क्रमांकः– 756 – 767 दिनांकः– 16-02-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ /चस्पा हेतु सादर प्रेषित हैः–

1– श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ।
2– नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर–प्रथम/ द्वितीय/ जयपुर जिला ।
3– नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट बनीपार्क जयपुर/जिला परिषद जयपुर/मिनी सचिवालय जयपुर ।
4– नोटिस बोर्ड,सिविल न्यायालय चाकसू/बस्सी/सांगानेर ।
5– नोटिस बोर्ड उपखण्ड अधिकारी कार्यालय चाकसू/बस्सी/सांगानेर ।
6– नोटस बोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ।
7– नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय लालकोठी जयपुर।
8– नोटिस बोर्ड जन सूचना केन्द्र जयपुर ।
9– नोटिस बोर्ड वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर फॉर वीमेन जयपुरिया अस्पताल(अपराजिता सेन्टर) मालवीय नगर जयपुर।
10– नोटिस बोर्ड विभिन्न महिला संगठन जयपुर।
11– नोटिस बोर्ड अध्यक्ष दी बार एसोसियेशन जयपुर महानगर जयपुर।
12– ई–कोर्ट वेबसाईट, जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर माहनगर–प्रथम ।

(किशोर कुमार तालेपा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर–प्रथम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम

कार्यालयः ए.डी.आर. सेन्टर, बी–610, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर–302016

टेली / फैक्स नं.– 0141–4453488, email- dlsa17jaipurmetro@gmail.com

अधिकार मित्र (पी.एल.वी) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम :..

2. पिता / पति का नाम :..

3. संवर्ग–सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो लिखें) : ....

4. स्थायी पता : ....

....

5. वर्तमान पता : ....

....

6. स्थानीय पंचायत समिति का नाम : ....

7. पडौस की पंचायत समिति का नाम :..

8. मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल : ....

....

9. निकटतम पुलिस स्टेशन : ....

10. जन्म तिथि (अंको में) : ....

(शब्दों में) : ....

11. 01, जनवरी, 2026 को आयु : ....

12. शैक्षणिक योग्यता : ....

13. कम्प्यूटर ज्ञान : ....

14. आवेदक द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्य का विवरण : ....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम

कार्यालयः ए.डी.आर. सेन्टर, बी–610, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर–302016

टेली / फैक्स नं.– 0141–4453488, email- dlsa17jaipurmetro@gmail.com

15. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए : ....

16. यदि आवेदक किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध है या वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका विवरण : ....

17. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एन.जी.ओ. या किसी विशेष ग्रुप से जुडा है तो उसका विवरण लिखें : ....

18. यदि आवेदक पी.एल.वी. के रूप में कार्य कर रहा हो / कर चुका हो, तो उसका विवरण : ....

नोटः– **आई.डी. प्रूफ व शैक्षणिक योग्यता हेतु स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें।**

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं .... सत्यापित करता / करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नहीं हूं।

दिनांकः–

(आवेदक के हस्ताक्षर)